A052-20222023-001-1375096

संख्या-23/2022/611/52-1-2022-17(पी0एम0जे0वी0के0)/2020

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2022

विषय- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की दिनांक 17.07.2019 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 16वीं बैठक तथा दिनांक 10.10.2019 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 19वीं बैठक में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड मुजेहना, इटियाथोक, जनपद-गौतमबुद्ध नगर के विकास खण्ड जेवर ब्लाक-02, जनपद-बाराबंकी के विकास खण्ड सिरौली गौसपुर एवं जनपद-सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड नौगढ़ में स्वीकृत कॉमन सर्विस सेण्टर के निर्माण हेतु राज्यांश की समर्पित की गयी अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1083/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/धन माँग (330)/2022 दिनांक 13.06.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयांकित परियोजनाओं की शासन स्तर से अवमुक्त प्रथम किश्त की समर्पित की गयी राज्यांश की अवशेष धनराशि रू0 65.35 लाख निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-एम0एस0डी0पी0-13/47/2019-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0 दिनांक 22.08.2019 एवं पत्र संख्या-एम0एस0डी0पी0-13/69/2019-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0ए0 दिनांक 29.11.2019 के क्रम में जारी शासनदेश संख्या-34/2020/492/ 52-1-2020-17(पी0एम0जे0वी0के0)/2020 दिनांक 17.03.2020 तथा भारत सरकार के

http://snasanadesh.up.gov.in

पत्र संख्या-एम0एस0डी0पी0-13/59/2019-एम0एस0डी0पी0-एम0ओ0एम0 ए0 दिनांक 16.10.2019 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-33/2020/329/52-1-2020-17(पी0एम0जे0वी0के0)/2020 दिनांक 17.03.2020 द्वारा विषयगत परियोजनाओं के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था **उ0प्र0 वक्फ विकास निर्माण निगम लि0** के पक्ष में प्रथम किश्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 126.00 लाख एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि रू0 84.00 लाख अवमुक्त की गयी थी, जिसमें से राज्यांश की धनराशि रू0 65.35 लाख आहरित न किये जाने के कारण शासन को समर्पित कर दी गयी थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड मुजेहना, इटियाथोक, जनपद-गौतमबुद्ध नगर के विकास खण्ड जेवर ब्लाक-02, जनपद-बाराबंकी के विकास खण्ड सिरौली गौसपुर एवं जनपद-सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड नौगढ़ में कॉमन सर्विस सेन्टर की समर्पित की गयी प्रथम किश्त राज्यांश की अवशेष धनराशि **रू0 65.35 लाख (रूपये पैसठ लाख पैतीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये उपलब्ध बजट से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है-:

(केन्द्रांश-60, राज्यांश-40)								(धनराशि रू0 लाख में)		
क्र0	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के0+रा0)	अवमुक्त प्रथम किश्त की समर्पित की गयी धनराशि		अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित समर्पित की गयी प्रथम किश्त की अवशेष कुल धनराशि (रा0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**गोण्डा**	वि0ख0-मुजेहना में कॉमन सर्विस सेण्टर का निर्माण	01	140.00	84.00	56.00	42.00	00.00	13.07	**13.07**
2	**गोण्डा**	वि0ख0-इटियाथोक में कॉमन सर्विस सेण्टर का निर्माण	01	140.00	84.00	56.00	42.00	00.00	13.07	**13.07**
3	**गौतमबुद्ध नगर**	वि0ख0-जेवर ब्लाक-02 में कॉमन सर्विस सेण्टर का निर्माण	01	140.00	84.00	56.00	42.00	00.00	13.07	**13.07**
4	**बाराबंकी**	वि0ख0-सिरौली गौसपुर में कॉमन सर्विस सेण्टर का निर्माण	01	140.00	84.00	56.00	42.00	00.00	13.07	**13.07**

http://shasanadesh.up.gov.in

5	**सिद्धार्थनगर**	वि0ख0-नौगढ़ में कॉमन सर्विस सेण्टर का निर्माण	01	140.00	84.00	56.00	42.00	00.00	13.07	**13.07**
		योग	**05**	**700.00**	**420.00**	**280.00**	**210.00**	**00.00**	**65.35**	**65.35**

4- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-138 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **उ0प्र0 वक्फ विकास निर्माण निगम लि0** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। **यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी एवं भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।** निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3)- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यकतानुसार होगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। **प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।**

(5)- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6)- कार्य की विशिष्टयॉं, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निर्माणकारी संस्था की होगी तथा निर्माणकारी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में लोक निर्माण

http://shasanadesh.up.gov.in

विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत कॉमन सर्विस सेण्टर की डिजाइन वही होगी जो केन्द्र/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित है।

(7)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो । अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा ।

(8)- उपरोक्त तालिका में उल्लिखित परियोजना हेतु निर्गत की जा रही धनराशि को सम्बन्धित मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध बचत से मिलान करने के उपरान्त ही निदेशालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(9)- **वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022, 30.12.2021, 22.03.2021, 20.01.2021, 09.12.2020, 29.09.2020, 11.04.2020 एवं 24.03.2020, के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(10)- लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।

(11)- कार्यदायी संस्था द्वारा अनुमोदित सीमा तक सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा ।

(12)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(13)- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(14)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक् खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा ।

(15)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(16)- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो अधीन आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

http://shasanadesh.up.gov.in

(17)- निर्माण कार्य निर्विवादित भूमि पर ही किया जायेगा तथा निर्विवादित भूमि की उपलब्धता जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी विवादित स्थल पर निर्माण कार्य न किया जाय । सम्बन्धित परियोजना हेतु धनराशि जारी करने से पूर्व परियोजना के लिए निर्विवादित एवं उपयुक्त भूमि की उपलब्धता निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सुनिश्चित की जायेगी यदि उपयुक्त/निर्विवादित भूमि पर परियोजना का निर्माण न होने की स्थिति में धनराशि के निष्फल व्यय की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

(18) अवमुक्त धनराशि का आहरण दो माह की आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(19) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(20) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

(21) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

(22) योजनान्तर्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से अच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(23) केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम सं0-1(13)PFMS/2022 दिनांक 20.05.2022 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8924- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कामन सर्विस सेन्टर-**24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय **संख्या–E-4-77-X-2022-23, दिनांक 11.07.2022** में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-611(1)/बावन-1-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कॉमन सर्विस सेण्टर के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को यथाआवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, सम्बन्धित विभाग।
9- निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, **उ0प्र0 वक्फ विकास निर्माण निगम लि0** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कॉमन सर्विस सेण्टर के निर्माण का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **गोण्डा, गौतमबुद्धनगर, बाराबंकी एवं सिद्धार्थनगर।**
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in